रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 17, 2006/आश्विन 25, 1928
No. 499] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2006/ASVINA 25, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2006

(आयकर)

सा.का.नि. 645(अ).—जबकि, भारत गणराज्य की सरकार तथा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा कर अपवंचन की रोकथाम के लिए अनुबद्ध अभिसमय उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 28 के अनुसार 1 नवम्बर, 2006 से प्रवृत्त होगा जो उस मास जिसमें इस अभिसमय को प्रवृत्त करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के उपरांत परवर्ती अधिसूचनाएं प्राप्त हुई थीं, के पश्चात् दूसरे मास का प्रथम दिन है।

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी प्रावधानों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 287/2006-एफ टी डी/फा. सं. 501/7/91-विकप्र]

पूनम दत्त, संयुक्त सचिव

अनुबंध

आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और कर अपवंचन को रोकने के लिए.

भारत गणराज्य की सरकार

और

सऊदी अरब किंगडम की सरकार

के बीच

अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार तथा सऊदी अरब किंगडम की सरकार, आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार तथा कर अपवंचन को रोकने के लिए और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के संवर्द्धन की दृष्टि से एक अभिसमय निष्पन्न करने की इच्छा से, निम्नानुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद-1

शामिल व्यक्ति

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद - 2

सम्मिलित कर

1. यह अभिसमय किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय तथा पूंजी पर लगाए गए करों पर लागू होगा, चाहे ये कर किसी भी प्रकार से लगाए जाएं ।

2. सकल आय अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगने वाले करों के रूप में माना जाएगा जिनमें चल और अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर कर, उद्यमों द्वारा अदा किए गए वेतनों और मजदूरियों की सकल रकम पर कर शामिल है ।

3. जिन वर्तमान करों पर यह अभिसमय लागू होगा वे विशेषकर इस प्रकार हैं :

(क) भारत के मामले में :

- आयकर, जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है ;
  (जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा);

(ख) सऊदी अरब किंगडम के मामले में :

- जकत
- प्राकृतिक गैस निवेश कर सहित आयकर ;

(जिसे इसके बाद "सऊदी कर" कहा जाएगा) ।

4. इस अभिसमय के उपबंध किसी भी समरूप अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होंगे, जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् किसी एक संविदाकारी राज्य द्वारा विद्यमान करों के अलावा अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी क्रमशः अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे एक-दूसरे को अभिसूचित करेंगे ।

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

क) "भारत" पद से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र, और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर आकाशीय क्षेत्र के साथ-साथ अन्य समुद्री क्षेत्र भी शामिल हैं जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं ;

ख) "सऊदी अरब किंगडम" पद का अर्थ सऊदी अरब किंगडम के उस क्षेत्र से है जिसमें क्षेत्रीय जल के बाहर के वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां सऊदी अरब किंगडम अपने प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारों तथा क्षेत्राधिकारों का अपने जल, समुद्र, अवमृदा तथा प्राकृतिक संसाधनों का अपने कानून और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रयोग करता हो ;

ग) "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकारी राज्य" पद का अर्थ, संदर्भ की अपेक्षानुसार भारत गणराज्य अथवा सऊदी अरब किंगडम से है ;

घ) "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई संगठन शामिल है ;

ड.) "कम्पनी" पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में समझा जाता है ;

च) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

छ) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है - किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ;

ज) "सक्षम प्राधिकारी" पद का अर्थ है :-

(i) भारत के मामले में : वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(ii) सऊदी अरब किंगडम के मामले में : वित्त मंत्रालय जिसका प्रतिनिधित्व वित मंत्री अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि करे ;

झ) "राष्ट्रिक" पद का अर्थ है :

(i) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यक्ति ;

(ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारिता अथवा संगठन जिसे इस की यह हैसियत संविदाकारी राज्य में लागू कानूनों से प्राप्त होती हो ।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी भी समय इस अभिसमय को लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो करों के प्रयोजनार्थ उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस समय था, जिस पर यह अभिसमय लागू होता है और उस राज्य पर लागू कर कानूनों के अंतर्गत यह अर्थ उस राज्य के किन्हीं अन्य कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा ।

अनुच्छेद -4

निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है

(क) जिसपर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध - स्थान अथवा किसी ऐसी ही कसौटी के कारण कर लगाया जा सकता है । परन्तु इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिसपर केवल उस राज्य के स्रोतों पर होने वाली आय पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है ;

(ख) दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक की सरकार अथवा इसका कोई राजनयिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण ।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

क) उसे केवल उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

ख) यदि उस राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;

घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक हो अथवा उनमें से किसी राज्य का भी राष्ट्रिक है तब संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहां पैरागाफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों ही संबिदाकारी राज्यों का निवासी हो, तब उसे केवल उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध - स्थान स्थित है ।

अनुच्छेद -5

स्थायी संस्थापन

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ "स्थायी संस्थापन" पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है ।

2. "स्थायी संस्थापन" पद मे विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबंध का कोई स्थान ;

(ख) कोई शाखा ;

(ग) कोई कार्यालय ;

(घ) कोई कारखाना ;

(ङ.) कोई कार्यशाला ;

(च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;

3. "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नोक्त भी शामिल होंगे :

(क) कोई भवन-स्थल, कोई निर्माण, प्रस्थापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप परन्तु केवल वहीं जहां ऐसा भवन स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 182 दिनों से अधिक समय तक चलता रहता हो।

(ख) किसी उद्यम द्वारा अपने कर्मियों द्वारा अथवा इस प्रयोजनार्थ उद्यम द्वारा लगाए गए व्यक्तियों के माध्यम से परामर्शदायी सेवाओं सहित सेवाएं मुहैया करवाना परन्तु जहां इस किस्म के कार्यकलाप (इसी अथवा किसी सम्बद्ध परियोजना हेतु) देश के भीतर 12 माह की अवधि में कुल मिलाकर 182 दिन से अधिक की अवधि तक जारी रहें ।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :

(क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

(ख) मात्र भण्डारण, प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उक्त उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उस उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(घ) उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

(ङ.) उस उद्यम के लिए मात्र कारोबार चलाने के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना जो प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों ;

(झ) उप-पैराग्राफ (क) से (ङ.) तक में उल्लिखित कार्य-कलापों के संयोजन के लिए मात्र व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो, तो उस उद्यम का प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में किन्ही ऐसी गतिविधियों के संबंध में स्थायी संस्थापन का होना तभी समझा जाएगा, यदि वह व्यक्ति उद्यम के लिए करता हो, यदि यह व्यक्ति ;

(क) उसे उस उद्यम की तरफ से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन ऐसे प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्यकलाप इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित कार्यकलापों तक सीमित न हों, यदि ऐसा कारोबार के किसी निश्चित स्थान से किया जाए इससे उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ; अथवा

(ख) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का एक स्टॉक आदतन रखता हो, जिसमें से वह नियमित रूप से उद्यम की ओर से माल और पण्य-वस्तुओं की डिलीवरी करता हो ; अथवा

(ग) वह आदतन प्रथमोलिखित राज्य में उद्यम के लिए पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया आदेश प्राप्त करता हो ।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम का, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन होना तभी माना जाएगा, यदि वह स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट, के अलवा जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस अन्य राज्य के क्षेत्र मे बीमे की प्रीमियम एकत्र करता है अथवा वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है ।

7. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा ।

8. यदि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय सहित) से प्राप्त आय पर दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार । जलयान, नौकाएं, वायुयान और अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं समझे जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर भी लागू होंगे ।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए हों ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहा प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ, वे लाभ माने जाएंगे जिनके होने की तब संभावना रहती है जब वह एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगे हुए किसी निश्चित और भिन्न उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी, न्जो उस स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार प्राप्त कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही वे उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों और ये उस राज्य के स्वदेशी कर कानूनों की सीमाओं के अध्यधीन एवं इस के अनुसरण में किए गए हों । तथापि, स्थायी संस्थापन द्वारा राशियों के संबंध में उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किन्हीं अन्य कार्यालयों को पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा कमीशन के रूप में, निष्पादित विशिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंधन के लिए अथवा बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न) यदि कोई हों, और अदा की गई हों तो उसके संबंध में ऐसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसी प्रकार एक स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उस रकम को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किसी अन्य कार्यालय को पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा निष्पादित विशेष सेवाओं अथवा प्रबंधन के लिए कमीशन के रूप में अथवा किसी बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर उद्यम अथवा इसके किसी अन्य कार्यालय के कार्यालय प्रमुख को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न व्यय) राशियाँ प्रभारित की गई हों ।

4. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं ।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो ।

6. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 8

जहाजरानी और वायु परिवहन

1. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा प्राप्त लाभों पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जाएगा ।

2. यदि किसी जहाजरानी उद्यम का प्रभावी प्रबंध स्थान किसी जलयान पर स्थित हो अथवा यदि उस संविदाकारी राज्य जिसका जलयान का प्रचालक एक निवासी हो, में कोई ऐसा घरेलू बन्दरगाह न हो तब उसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें जलयान का घरेलू बन्दरगाह स्थित हो ।

3. "अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभ" पद में अंतरराष्ट्रीय परिवहन में प्रयुक्त आधानों और सम्बद्ध उपकरण के प्रयोग अथवा इन्हें किराए पर देने से प्राप्त आय भी शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त आय के प्रासंगिक हो ।

4. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंध दोहरे कराधान के परिहार हेतु सऊदी अरब किंगडम तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच मौजूदा करार को एयर इंडिया तथा सऊदी अरब एयर लाईन निगम के संबंध में 14.11.1991 में हस्ताक्षरित विमान परिवहन उद्यम के कार्यकलापों से प्राप्त आय पर एक दूसरे को करों से छूट प्रदान कर प्रभावित नहीं करेंगे ।

अनुच्छेद - 9

संबद्ध उद्यम

1. जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय, संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद - 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे ।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, उस राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा, लेकिन, यदि लाभांशों का प्राप्तकर्ता हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर लाभांशों की सकल राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे । यह पैराग्राफ, उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिनमें से लाभांश अदा किए जाते हैं ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" पद का अभिप्राय शेयरों, "ज्योइसेंस" शेयरों या "ज्योइसेंस" अधिकारों, खनन शेयरों, संस्थापन शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय, जो ऋण के दावे न हों, लाभों में हिस्सेदारी से प्राप्त आय तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय है जिस पर वही कराधान अभिक्रिया लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसी भी स्थिति हो, के उपबंध लागू होंगे ।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसी स्थिति में वह दूसरा राज्य ऐसे मामलों को छोड़कर उक्त कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जहां तक कि ऐसे लाभांश दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हैं, अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या उस दूसरे राज्य में किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है और न ही उक्त कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर लगाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों ।

अनुच्छेद - 11

ऋण-दावों से प्राप्त आय

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई ऋण-दावों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, ऐसे ऋण-दावों से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में जिसमें यह उद्भूत हुई है उस संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा, किन्तु यदि ऋण-दावों से प्राप्त आय का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ऋण-दावों से प्राप्त आय की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी,एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली ऋण-दावों से प्राप्त आय को उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, बशर्ते कि यह निम्न द्वारा प्राप्त किया जाता हो और हितभागी स्वामित्व के रूप में रखा जाता हो :

(क) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, किसी राजनयिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

(ख) (i) भारत के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक; और

(ii) सऊदी अरब किंगडम के मामले में सऊदी अरेबिया मोनेटरी एजेंसी; अथवा

(ग) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा पूर्णतः प्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व प्राप्त और नियंत्रित कोई अन्य वित्तीय संस्थान ।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ऋणदावों से प्राप्त आय" शब्द का आशय सरकारी प्रतिभूतियों और बाण्डों या ऋणपत्रों से प्राप्त आय है जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बाण्डों या ऋणपत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल है, चाहे वे बंधकों द्वारा प्राप्त किए गए हों या नहीं और उसे ऋणदाता के लाभों में भागीदारी करने का अधिकार प्राप्त हो या नहीं; और प्रत्येक प्रकार के ऋणदावे तथा अन्य सभी प्रकार की आय जिसमें उस राज्य के जिसमें आय उद्भूत हुई है, कराधान कानूनों के तहत उधार दिए धन से प्राप्त आय शामिल है। विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ऋणदावों से प्राप्त आय के रूप में नहीं माना जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ऋण-दावों से प्राप्त आय का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ऋण-दावों से प्राप्त आय उद्भूत हुई हो, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के मांध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वहां स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस ऋण-दावे के बारे में आय अदा की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. किसी संविदाकारी राज्य में ऋण-दावों संबंधी दावों से प्राप्त आय तब उत्पन्न हुई मानी जाएगी जब ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां ऐसी आय अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ऐसी आय की अदायगी की गई थी और इस प्रकार की आय उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती है तब ऐसी आय उस राज्य में उत्पन्न हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय की रकम, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए यह रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगी के आधिक्य भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 12

रायल्टियां

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों की सकल रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द का अभिप्राय है किसी साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति जिसमें सिनेमाटोग्राफ फिल्मों के कापी राईट का प्रयोग करने का अधिकार या प्रयोग करने हेतु विचार किए जाने के लिए या रेडियो या टेलीविजन प्रसारण हेतु फिल्में अथवा टेपें, कोई पेटेंट, व्यापार, चिन्ह डिजाईन या मॉडल योजना, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा कोई औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण अथवा उद्योग,

वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव (जानकारी) से सम्बन्धित सूचना को प्रयुक्त करने या प्रयुक्त करने के अधिकार हेतु प्राप्त की गयी किसी भी प्रकार की अदायगियां ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियाँ उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी. संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियाँ अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबद्ध हैं ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे ।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियाँ तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब अदाकर्ता उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां रायल्टियाँ अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में रायल्टियाँ अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायल्टियों उस स्थाई संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टियाँ उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित हैं ।

6. जहां, अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायल्टियों की रकम, उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंधों की अनुपस्थिति मे अदाकर्ता और हितभागी स्वामी में सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगियों के उस आधिक्य भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 13

पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा ।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयान अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयान के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा अंतरणकर्त्ता जिस का निवासी है ।

4. किसी कम्पनी के पूंजीगत स्टॉक जिसकी सम्पत्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति शामिल है, के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभ पर उस राज्य में कर लग सकेगा ।

5. किसी कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित के अतिरिक्त किसी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, अंतरणकर्ता जिसका निवासी है ।

अनुच्छेद - 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी, व्यक्ति द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी प्रकार के स्वतंत्र कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी :

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी राज्य में नियमित रूप से एक निश्चित स्थान उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा इससे अधिक दिन के लिए हों, या संबंधित राजकोषीय वर्ष में समाप्त हो, तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती हो ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेषतया स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या शिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु - विदों, शल्य - चिकित्सकों, दन्त चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप सम्मिलित हैं ।

अनुच्छेद - 15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है । यदि ऐसा नियोजन किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिन की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित रहता है ; और

(ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक दूसरे राज्य में रखता हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित जलयान अथवा वायुयान पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियाँ जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में प्राप्त की गई हों, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 17

मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्त्ता किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्त्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं ।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध मनोरंजनकर्ताओं या खिलाड़ियों द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में निष्पादित की गई गतिविधियों से प्राप्त होने वाली आय पर लागू नहीं होंगे यदि ये गतिविधियाँ पर्याप्त रूप से एक या दोनों संविदाकारी राज्यों की सरकारी निधियों या राजनैतिक उप-प्रभागों या उनके स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा वित्तपोषित की जाती है या संविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच किसी सांस्कृतिक करार या प्रबंध के अंतर्गत आयोजित की जाती है । ऐसे मामले में आय केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी, जिसका कि मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी है ।

अनुच्छेद - 18

पेंशन

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के निवासी को पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और अन्य ऐसे पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा ।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में की गई सेवाओं के लिए किसी व्यष्टि को अदा की गई पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा ।

(ख) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती हो और उक्त व्यष्टि उस राज्य का निवासी हो, जो :

(i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो; अथवा

(ii) मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यष्टि को उस संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उसके द्वारा सृजित निधियों में से या उस के द्वारा अदा की गई पेंशन पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तभी कर लगेगा, यदि उक्त व्यष्टि उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।

3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थनीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद-20

विद्यार्थी

1. अनुदानों, ऋणों और छात्रवृत्ति के अतिरिक्त की गई अदायगियां, जो कोई विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी अथवा प्रशिक्षु जो किसी संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है, भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्राप्त करता है पर कर नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी अदायगियां उस राज्य के बाहर के स्रोतों से उद्भूत होती हों ।

2. किसी विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी अथवा प्रशिक्षु द्वारा प्राप्त अदायगियां, जो किसी संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है अथवा था और जो केवल अपनी शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में उपस्थित है तथा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में निष्पादित सेवाओं के संबंध में पारिश्रमिक बनती है, उस दूसरे राज्य में कराधेय नहीं होगी, बशर्ते कि सेवाएं, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण से संबंधित हों और भरण-पोषण के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों ।

3. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हों, परन्तु किसी भी स्थिति में, किसी भी व्यष्टि को इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार छह वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 21

अध्यापक और शोधकर्ता

1. कोई अध्यापक अथवा शोधकर्त्ता, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा दूसरे ऐसे संस्थान में अध्यापन अथवा शोधकार्य में लगे अथवा दोनो कार्यो के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में आमंत्रित होने अथवा दौरा करने के तुरन्त पहले संविदाकारी राज्य का एक निवासी है अथवा था, पर उस दूसरे राज्य में ऐसे अध्यापन अथवा शोधकार्य के लिए किसी पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में उसके पहुंचने की तारीख से दो वर्षो से अनधिक की अवधि के लिए कर से छूट प्राप्त होगी ।

2. यह अनुच्छेद केवल शोधकार्य से प्राप्त आय पर लागू होगा यदि ऐसा शोधकार्य व्यष्टि द्वारा सार्वजनिक हित में किया जाता है ।

अनुच्छेद - 22

अन्य आय

1 एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों मे विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगी ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसे अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 23

दोहरे कराधान के अपाकरण की विधि

दोहरा कराधान निम्न रूप से निष्प्रभाती होगा :

1. जहां एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को आय प्राप्त होती है जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, वह प्रथमोल्लिखित राज्य उस निवासी की आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में अदा किए गए कर की राशि के बराबर राशि की कर से कटौती की अनुमति देगा ;

तथापि, ऐसी कटौती छूट प्रदान किए जाने से पहले यथा संगणित कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो मामले के अनुसार उस आय से प्राप्त हुई हो, जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. जहां, अभिसमय के किसी उपबंध के अनुसरण में एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अर्जित की गई आय को उस संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त हो, फिर भी वह राज्य ऐसे निवासी की बकाया आय पर कर की राशि की संगणना करते समय छूट प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा ।

अनुच्छेद - 24

पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाईयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है । यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार के उद्देश्य से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार किए गए किसी भी अभिसमय को लागू किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानून में कोई भी समय सीमा क्यों न हो।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान को हटाने के लिए एक-दूसरे से परामर्श करेंगे जिनके लिए इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई हो ।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । जब समझौता करने की दृष्टि से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त हो तो ऐसा आदान-प्रदान एक आयोग के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हों ।

अनुच्छेद - 25

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के समक्ष प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान -प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं जो इस अभिसमय के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हो । सूचना का आदान-प्रदान करना अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना उस राज्य के स्वदेशी कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें कोई न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण करने अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने में शामिल हों जो इस अभिसमय के अंतर्गत आते हैं । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही करेंगे । वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे ।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;

(ख) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;

(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्तिका संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक) ।

अनुच्छेद - 26

अन्य उपबंध

1. इस अभिसमय में कर अपवंचन को रोकने के लिए आन्तरिक उपबंधों को लागू करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2. किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम इस अभिसमय के लाभों को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा यदि ऐसे उद्यम के सृजन का मुख्य उद्देश्य अथवा एक मुख्य उद्देश्य इस अभिसमय के अंतर्गत लाभों को प्राप्त करना था, जो अन्यथा प्राप्य नहीं होगा ।

3. विधिक हस्तियों के मामले में, जिनके प्रामाणिक व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं हैं, पर इस अनुच्छेद के उपबंध लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 27

राजनयिक मिशन के सदस्य एवं कौंसूली पद

इस अभिसमय की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक एजेंटों अथवा कौंसूली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 28

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस अभिसमय को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा किए जाने के बारे में एक-दूसरे को राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में अधिसूचित करेंगे ।

2. यह अभिसमय उस माह के अनुवर्ती दूसरे माह के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा जिस माह के बाद ये अधिसूचनाएं प्राप्त की गई थी ।

3. इस अभिसमय के उपबंध निम्नानुसार प्रभावी होंगे :

(क) भारत में : जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ; और

(ख) **सऊदी अरब में :**

(i) जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में पहली जनवरी को अथवा उसके बाद अदा की गई अथवा क्रेडिट की गई राशियों के संबंध में स्त्रोत पर धारित करों के संबंध में :

(ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में पहली जनवरी को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कराधेय वर्ष में अन्य करों के संबंध में ।

अनुच्छेद - 29

समापन

यह अभिसमय अनिश्चित समय तक लागू रहेगा जब तक कि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता । दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस अभिसमय के लागू होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद किसी शुरू होने वाले कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में समापन का नोटिस देकर अभिसमय को समाप्त कर सकता है । ऐसी स्थिति में यह अभिसमय निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

(क) भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष के पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वित्त वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ; और

(ख) सऊदी अरब में :

(i) जिस कैलेण्डर वर्ष में ऐसा नोटिस दिया जाता है उसके बाद अदा की गई अथवा क्रेडिट की गई राशियों के संबंध में तथा स्त्रोत पर धारित करों के संबंध में ;

(ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसकी समाप्ति के बाद आरम्भ होने वाले किसी कराधेय वर्ष के संबंध में तथा अन्य करों के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने, जो कि अपने संबंधित सरकारों की ओर से इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत हैं, इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष 2006 के जनवरी माह के 25वें दिन, 25-12-1426एच के सदृश्य, हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया है, इसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ निरूपण की भिन्नता के मामले में अंग्रेज़ी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

प्रणव मुखर्जी
रक्षा मंत्री

किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया
की सरकार की ओर से

इब्राहिम ए. अल-असाफ
वित्त मंत्री

प्रोतोकोल

भारत गणराज्य और सऊदी अरब किंगडम आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा कर अपवंचन को रोकने के लिए इस अभिसमय में को में निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हुए हैं, जो उक्त अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे ।

1. अनुच्छेद 3 के पैरा 2 (घ) के संबंध में, पद "व्यष्टि" में राज्य, इसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण तथा अन्य कोई हस्ती शामिल होगा जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत कराधेय यूनिट के रूप में समझा गया है ।

2. यह ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 2 के प्रयोजनार्थ, पद "कर" का तात्पर्य भारतीय अथवा सऊदी कर से है जैसा संदर्भानुसार अपेक्षित है, लेकिन इसमें उन करों के संबंध में लगाया गया कोई अर्थदण्ड अथवा जुर्माना शामिल नहीं होगा ।

3. अनुच्छेद 3 के प्रयोजनार्थ, पद "वित्तीय वर्ष" का तात्पर्य है ;

(i) भारत के मामले में, अप्रैल माह के प्रथम दिन को आरम्भ होने वाला वित्तीय वर्ष;

(ii) सऊदी अरब के मामले में, सऊदी अरब किंगडम के कानून एवं विनिमय में यथा निर्धारित कराधेय वर्ष ।

4. यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 4 के पैरा 1 (ख) के प्रयोजनार्थ, पद "निवासी" में निम्नलिखित शामिल होगा ;

(क) सरकार की वैद्य संस्थानों एवं एजेंसियां जो प्रत्यक्ष रूप में पूर्णतः स्वामित्व में हों और सरकार द्वारा नियंत्रित हों ।

(ख) सऊदी अरब किंगडम के मामले में, कोई व्यक्ति, जो एक भारतीय राष्ट्रिक है और संबंधित वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 183 दिनों की अवधि या अवधियों के लिए सऊदी अरब किंगडम में उपस्थित है ।

(ग) किसी विधिक व्यक्ति जिसे एक सविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत संगणित किया गया है जिसे सामान्यतया उस राज्य में कर से छूट प्राप्त है तथा दोनों में से एक राज्य में संस्थापित एवं सम्पोषित किया गया है या तो ;

(i) मुख्य रूप से किसी धार्मिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक अथवा अन्य इसी तरह के प्रयोजनार्थ ; अथवा

(ii) किसी योजना के अनुसार कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिए ।

5. अनुच्छेद 5 के पैरा 2 के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन में निम्नलिखित शामिल होगा ;

(क) कोई बिक्री बाजार ;

(ख) कोई फार्म, बागवानी अथवा कोई अन्य स्थान जहां पर कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित क्रियाकलाप चलाए जाते हैं ।

6. अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 6 के प्रयोजनार्थ, कोई व्यष्टि, जो स्वतंत्र हैसियत का एक एजेंट नहीं है तथा जिसके कार्यकलाप बीमा उद्यम के लिए एक स्थायी संस्थापन का सृजन करें, या तो उस राज्य में कोई व्यष्टि अथवा कम्पनी होगा, उसको और उस राज्य का न तो निवासी होने की और न ही कारोबार का कोई स्थल रखने की जरूरत ही होगी जहां वह उद्यम के लिए कार्य करता है ।

7. अनुच्छेद 7 के संबंध में, एक संविदाकारी राज्य के मामले में "कारोबार से लाभ" का तात्पर्य है, उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत यथा परिभाषित कारोबार से प्राप्त लाभ।

8. अनुच्छेद 7 के संबंध में, यह समझा जाता है कि :

(i) किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन के जरिए अथवा अन्यथा दूसरे संविदाकारी राज्य में पण्य-वस्तुओं के निर्यात संबंधी कारोबार से प्राप्त लाभ पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा । जहां निर्यात संविदाओं में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए कार्यकलाप भी शामिल होते हों, वहां उस स्थायी संस्थापन द्वारा ऐसे कार्यकलापों से प्राप्त लाभों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा और केवल उसी लाभ पर कर लगाया जाएगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण ऐसी गतिविधियां से हुआ समझा जाए तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के बाहर निष्पन्न ऐसे कार्यकलापों के हिस्से पर स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करते समय इन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(ii) **सर्वेक्षण**, निर्माण अथवा अधिष्ठापन संबंधी संविदाओं के मामले में किसी स्थायी संस्थापन के लाभों को संविदा की कुल राशि पर निर्धारित नहीं किया जाएगा परन्तु इसका निर्धारण संविदा के उस भाग के आधार पर किया जाएगा जो उस राज्य में स्थायी संस्थापन द्वारा प्रभावी रूप से किया जाता है, जहां स्थायी संस्थापन स्थित हो और उस दूसरे राज्य में किए गए किसी समझौते के भाग को स्थायी संस्थापन के भागों का निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।

9. अनुच्छेद 7 के पैरा 3 के प्रयोजनार्थ, एक संविदाकारी राज्य द्वारा दी जाने वाली व्ययों की कटौती तथा उस संविदाकारी राज्य के कर कानूनों की सीमाओं के अध्यधीन होगी और उन उपबंधों के अनुसार होगी । यदि भारत इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के बाद किसी भी अभिसमय में इस प्रतिबंध को समाप्त कर देता है, तब दोनों पक्ष इस मूद्दे की पुनरीक्षा करेंगे ।

10. अनुच्छेद 21 के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी तभी माना जाएगा यदि वह उस वित्त वर्ष के दौरान अथवा इसके तुरन्त बाद परवर्ती वित्त वर्ष में उस राज्य का निवासी हो जिस वित्त वर्ष के दौरान वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता हो ।

11. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, जकत को आय पर कर के रूप में माना जाएगा ।

12. सऊदी अरब किंगडम के मामले में, अनुच्छेद 23 में दोहरे कराधान के परिहार हेतु सऊदी राष्ट्रिकों के संबंध में जकत वसूली प्रबंध के उपबंधों के विपरीत नहीं होंगी ।

13. यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 25 में उल्लिखित सूचना में एक संविदाकारी राज्य के पास उपलब्ध वह साक्ष्य भी शामिल होगा जिसका दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किया गया हो,

14. जब सऊदी अरब संधि के अन्य भागीदारों को करों की वसूली में सहायता प्रदान करने के लिए अथवा जब यह संधि के किसी अन्य भागीदार को ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए सहमत होता है और वह अन्तर देशीय कानून में इस बाबत कोई उपबंध प्रस्तुत करता है, तब दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी को सहयता देने के लिए तौर-तरीकों को लागू करेंगे ।

15. यह समझा जाता है कि दोनों संविदाकारी राज्य इस अभिसमय के प्रवृत्त होने की तारीख से पांच वर्षों के बाद इस अभिसमय के उपबंधों की पुनरीक्षा करेंगे ताकि इस अभिसमय के कार्यक्षेत्र के भीतर ही तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अनुच्छेद को शामिल करने पर विचार किया जा सके ।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने, जो कि अपने संबंधित सरकारों की ओर से इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत हैं, इस प्रोतोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष 2006 के जनवरी माह के 25वें दिन, 25-12-1426एच के सदृश्य, हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया है, इसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ निरूपण की भिन्नता के मामले में अंग्रेज़ी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से	किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की सरकार की ओर से
प्रणव मुखर्जी रक्षा मंत्री	इब्राहिम ए. अल-असाफ वित्त मंत्री